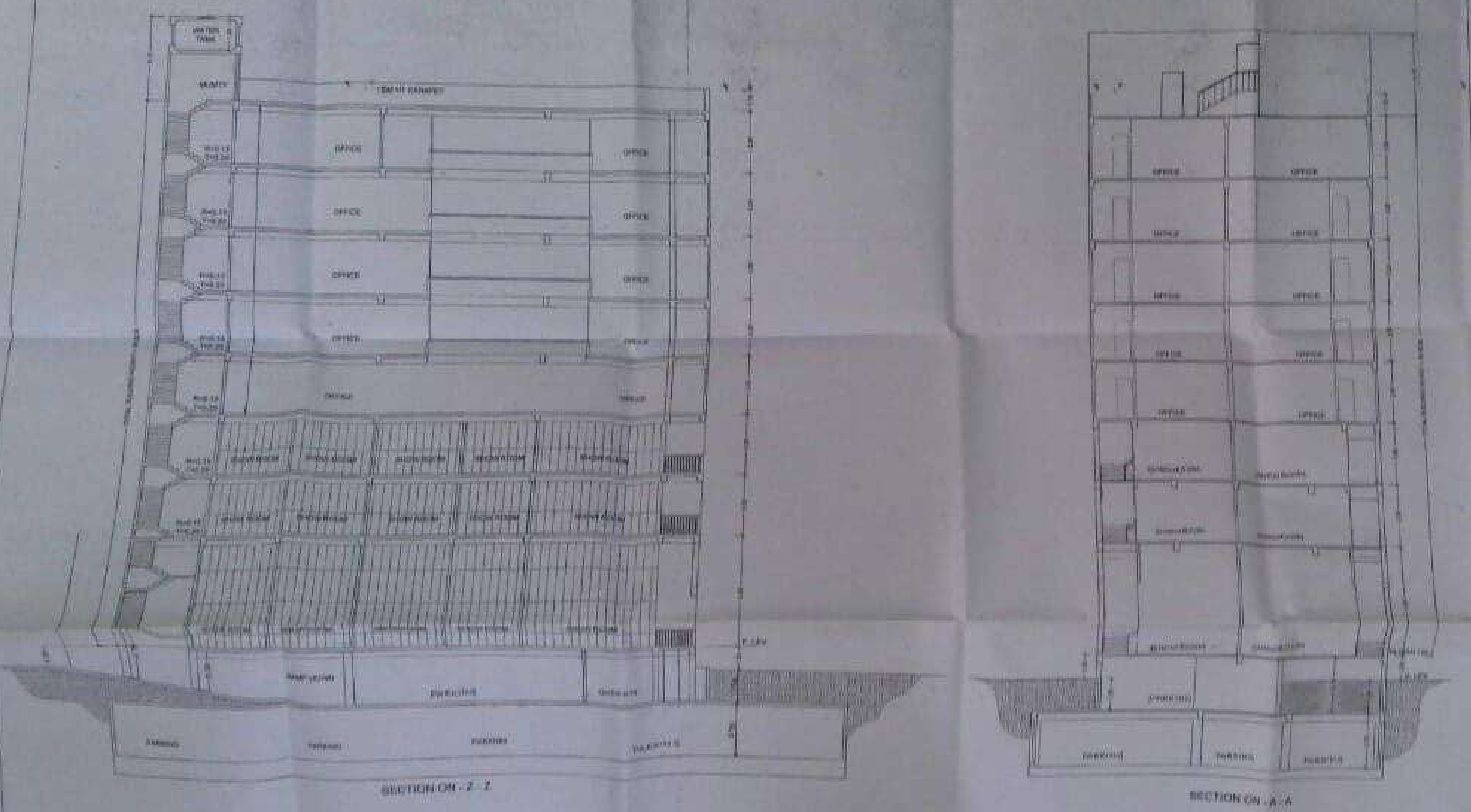

GREEN AREA CALCULATION

WATER HARVESTING CALCULATION

PROPOSED COMMERCIAL BUILDING FOR
SMT. SARITA SINHA D/O
LATE KAMESHWER PD SINHA
SRI SANJAY SINHA & SRI SAMEER SINHA
BOTH S/O LATE KAMESHWER PD SINHA
AT MOUZA - DHAKANPURA, THANA NO. - 7
KHATA NO. - 544/546, TAUZI NO. 5225,
PLOT NO. - 3102/3103/2065 DIST. - PATNA.

DEVELOPER:-
M/S CLASSICON BUILDERS (I) PVT. LTD
DIRECTOR - DEEPAK KUMAR SINHA
REGD NO. - BL/2/70/2016

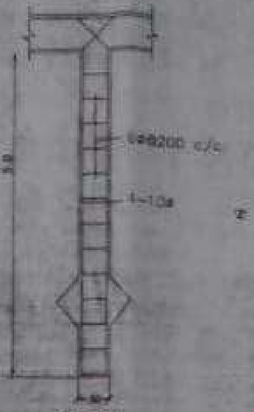

SECTION

DETAIL OF PILE FOUNDATION

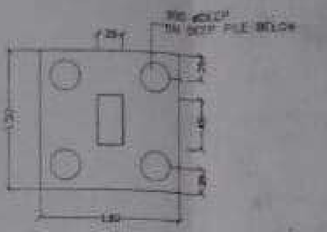

PLAN

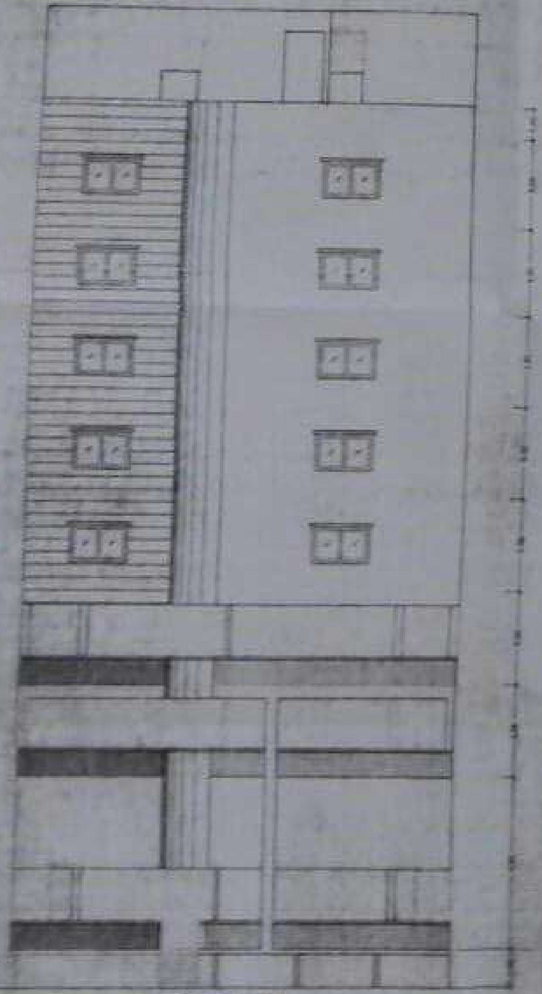

FRONT ELEVATION

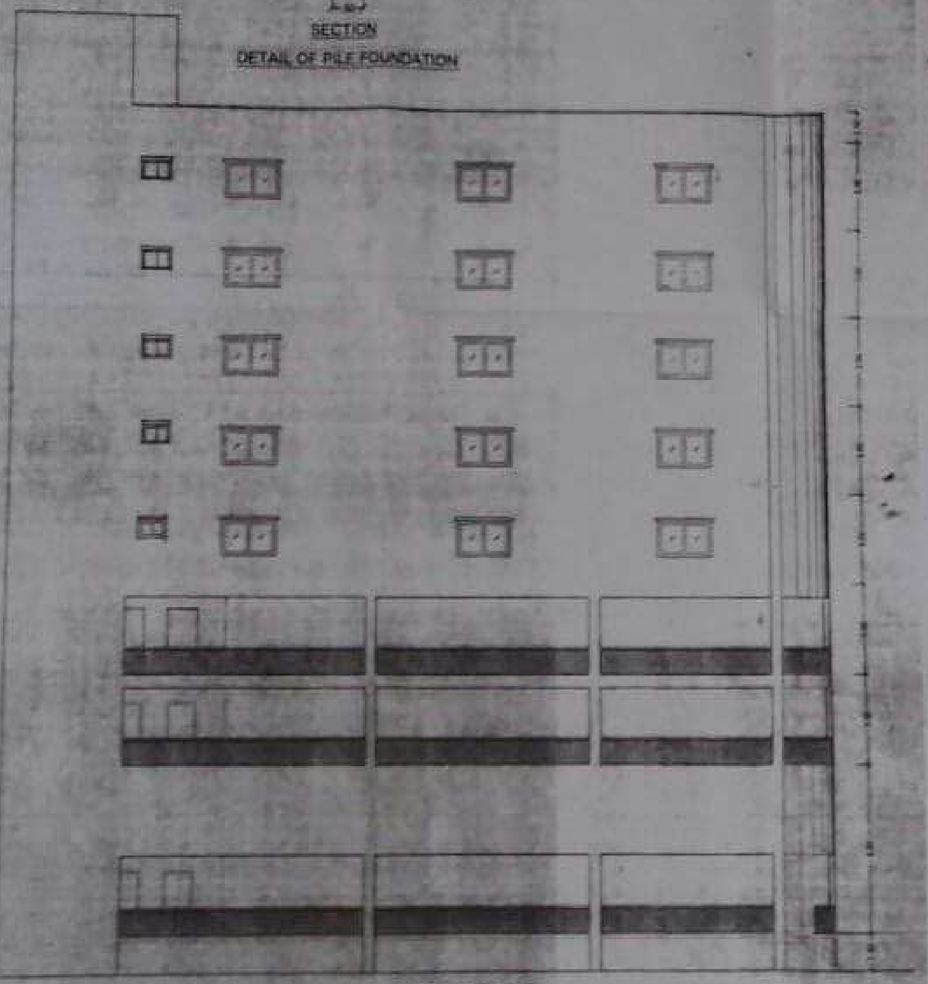

LEFT ELEVATION

FIRE LEGEND

1. UNDERGROUND WATER STATIC TANK OF 30,000 LITRES CAPACITY
2. SEAMESE CONNECTION
3. HYDRANT POINT
4. HOSE REEL
5. FIRE RESISTANCE CHECK DOOR
6. EMERGENCY LIGHT
7. ILLUMINATED EXIT SIGN
8. MANUAL CALL ALARM SYSTEM
9. OVER HEAD WATER STATIC TANK OF 10,000 LITERS CAPACITY
10. SPRINKLERS INSTALATION

PROPOSED COMMERCIAL BUILDING FOR
SMT. SARITA SINHA S/O
LATE KAMESHWER PD SINHA
SRI SANJAY SINHA & SRI SAMEER SINHA
BOTH S/O LATE KAMESHWER PD SINHA
AT MOUZA - DHAKANPURA, THANA NO. 7
KHATA NO. - 544/540, TAUZI NO. 2229
PLOT NO. - 3 [illegible] - PATNA

DEVELOPER:-
M/S CLASSICON BUILDERS (I) PVT LTD
DIRECTOR - DEEPAK KUMAR SINHA
REGD NO - BLD/70/2016

AMIT KUMAR

PATNA MUNICIPAL CORPORATION

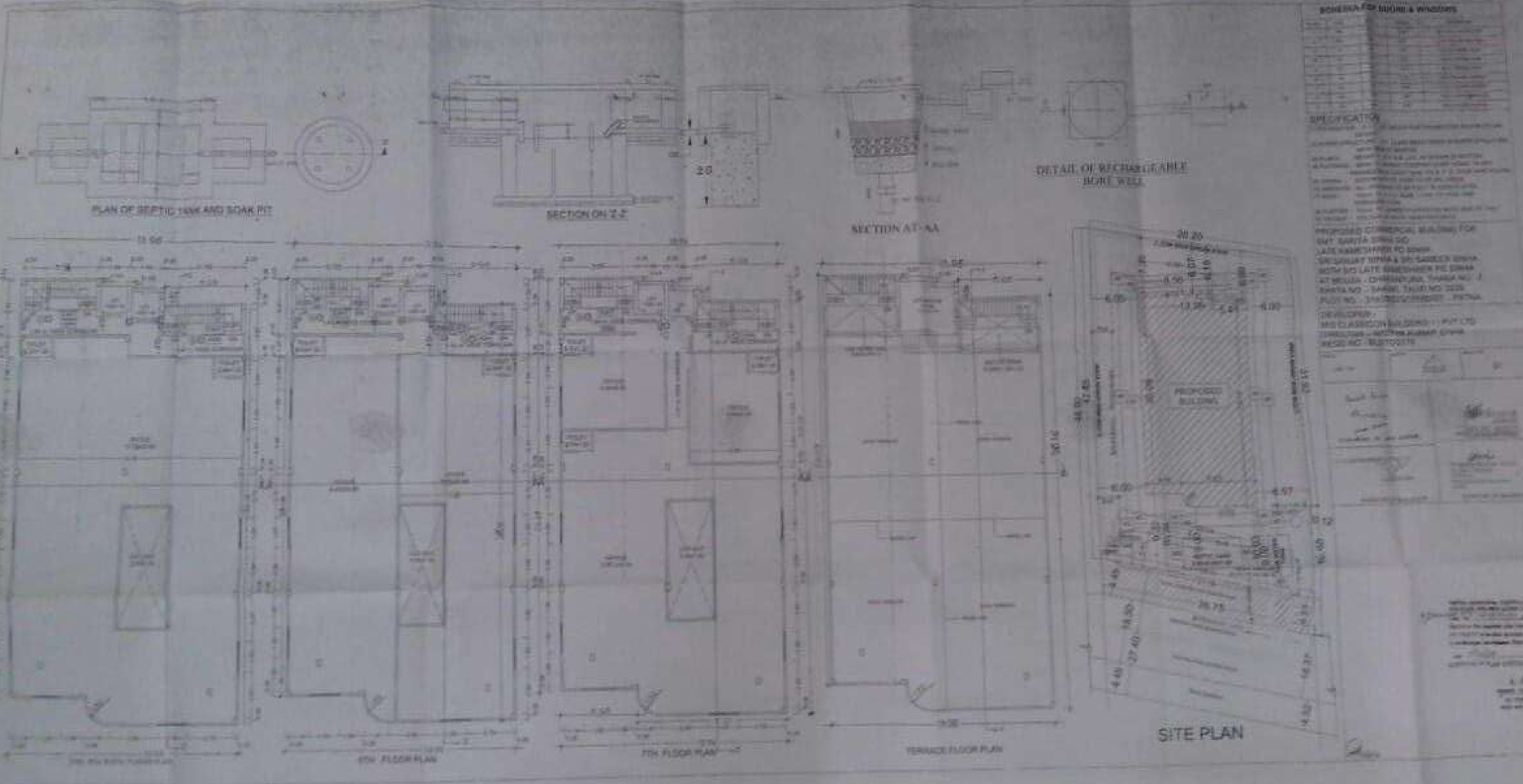
PLAN OF SEPTIC TANK AND SOAK PIT
SECTION ON 'Z-Z'
SECTION AT- AA
DETAIL OF RECHARGEABLE BORE WELL
SPECIFICATION
6TH FLOOR PLAN
7TH FLOOR PLAN
TERRACE FLOOR PLAN
PROPOSED BUILDING
SITE PLAN

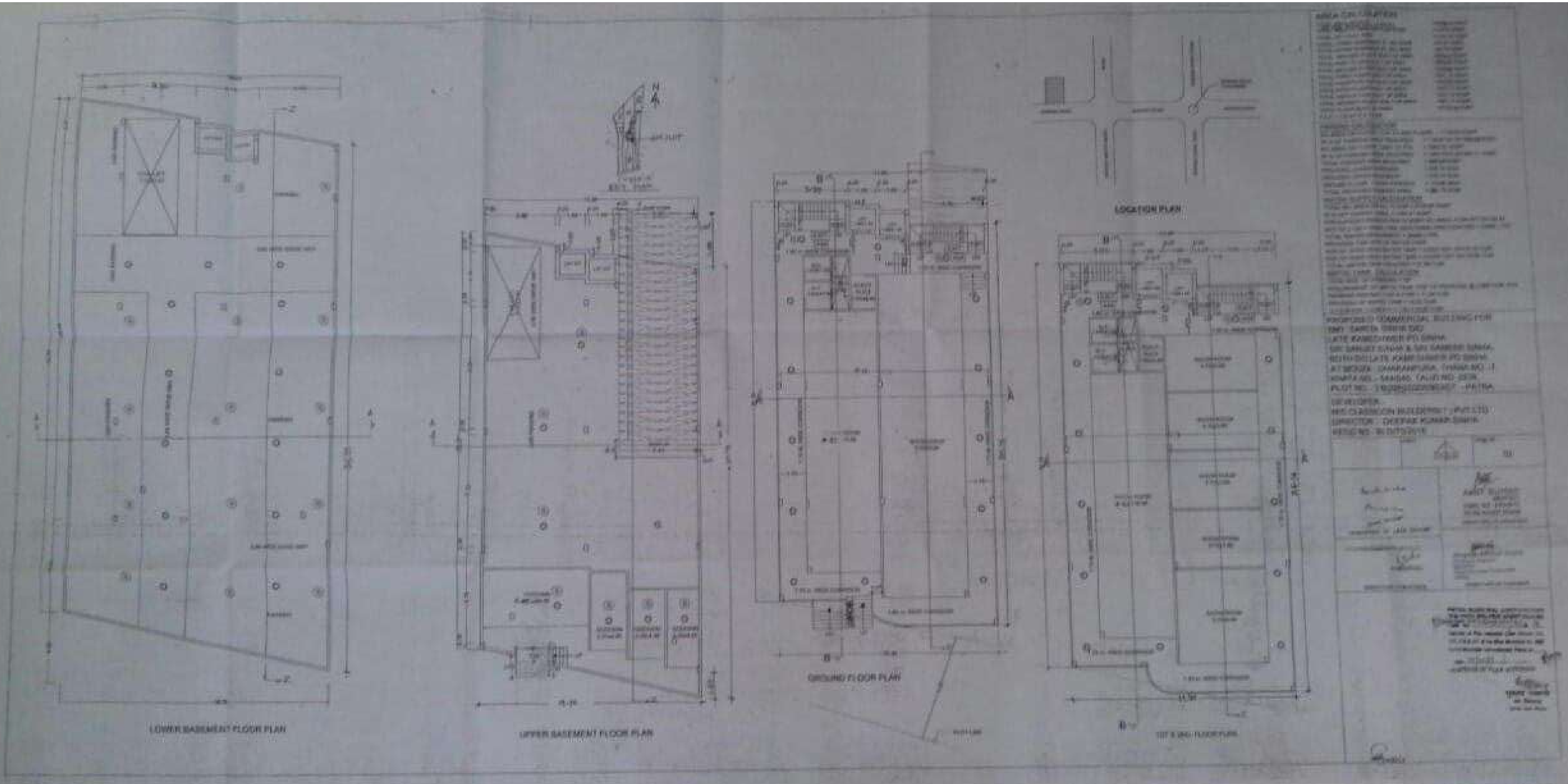
LOWER BASEMENT FLOOR PLAN
UPPER BASEMENT FLOOR PLAN
GROUND FLOOR PLAN
1ST & 2ND FLOOR PLAN
LOCATION PLAN
PROPOSED COMMERCIAL BUILDING FOR
DEVELOPER

पटना नगर निगम
پٹنہ میونسپل کارپوریشن
PATNA MUNICIPAL CORPORATION

पटना कारपोरेशन
CITY OF PATNA

Letter No. / पत्रांकः 9698
Date / दिनांकः 20/07/2019

सेवा में,

मे0 क्लासिकॉन बिल्डर्स प्रा0 लि0,
निदेशक-श्री दीपक कुमार सिन्हा,
पता- मोहल्ला- केसरी नगर, थाना- पाटलिपुत्रा कॉलोनी,
जिला- पटना, बिहार।

विषय :- **प्लॉन केस सं0**-P- Dhakanpura-PCN-LB+UB+G+7/160/2018 **की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

आपके आवेदन संख्या- P- Dhakanpura-PCN-LB+UB+G+7/160/2018 दिनांक 25.04.2018 के संदर्भ में मे0 क्लासिकॉन बिल्डर्स प्रा0 लि0, निदेशक-श्री दीपक कुमार सिन्हा, पता- मोहल्ला- केसरी नगर, थाना- पाटलिपुत्रा कॉलोनी, जिला- पटना, बिहार के लिए भवन निर्माण के लिए पटना नगर निगम/ बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित.. .... विकास योजना / आयोजना प्राधिकार/ आयोजना स्कीम के .... प्लॉट सं0-31(P), 32(P),32/2055(P) खाता सं0-544/5400, तौजी नं0-2229, थाना नं0-07, मौजा-ढक्कनपुरा, पटना के बाबत निम्नलिखित शर्त्तो/ निर्वधनों के अध्याधीन एत्द द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है ।

(क) भूमि/ भवन का उपयोग अनन्य रूप से व्यवसायिक प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोंगो को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

(ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।

(ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया 931.74 वर्ग मीटर का पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा ।

(घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि 18.37 मीटर से 18.50 मीटर चौड़ाई के अनुमोदित पहुँच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।

(ड़) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।

(च) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजना प्राधिकारों/या बिहार शहरी अयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार/ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अधीनस्थ पटना नगर निगमों को 119.84 वर्ग मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी मुफ्त उपहार के रूप में देगा।

(छ) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किये जाने की तारीख से तीन वर्षो की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

(ज) इस उपबन्ध के अधीन दी गयी अनुमति को उस भूखण्ड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गयी हो, के अधिकार, हक, हित की बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी ।

(झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जाएगी।

(ञ) भू-स्वामित्व एवं नक्शा से संबंधित समस्त दस्तावेजों/कागजात के सत्यता की जिम्मेवारी आवेदक की है। भविष्य में इसमें किसी प्रकार की त्रुटि/ हेर-फेर/कपटपूर्ण रचना पाये जाने पर नक्शा अस्वीकृत किये जाने के साथ आवेदक के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

(ट) भवन का निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुरूप ही किये जायें, भविष्य में किसी भी प्रकार के अनियमितता/विचलन पाये जाने की स्थिति में सम्पूर्ण जबाबदेही आवेदक की होगी एवं विधि सम्मत कार्रवाई के पात्र होंगे।

(ठ) Environmental Protection Act. के तहत् बहुमंजिले भवन के निर्माण के दौरान ढ़क कर निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा।

(ड) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम (Solid Waste Management Rules), 2016 का अनुपालन किया जाय।

(ढ़) ग्रीन-एरिया का प्रावधान बिहार भवन उप-विधि, 2014 के कंडिका-32 के अनुरुप निर्माण परिसर में किया जाना अनिवार्य होगा।

विश्वासभाजन,

19/07/19

उप निदेशक,
शहरी योजना,
पटना नगर निगम, पटना।

Maurya Lok Complex, Budhha Marg, Patna, Bihar 800001. T +91-612-2223791, F +91-612-2200691, E patnamc-bih@gov.in, W pmc.bihar.gov.in
facebook.com/cityofpatna twitter.com/cityofpatna instagram.com/cityofpatna youtube.com/cityofpatna 947 222 3909

पटना नगर निगम
پٹنہ میونسپل کارپوریشن
PATNA MUNICIPAL CORPORATION

पटना कारपोरेशन
सेवा हि धर्मः
१६५२
CITY OF PATNA

Letter No. / पत्रांक: 9697

Date / दिनांक: 20/7/2019

सेवा में,

1. मे0 क्लासिकॉन बिल्डर्स प्रा0 लि0,
   निदेशक-श्री दीपक कुमार सिन्हा,
   पता- मोहल्ला- केसरी नगर, थाना- पाटलिपुत्रा कॉलोनी,
   जिला- पटना, बिहार।
2. **वास्तुविद, श्री अमित कुमार, निबंधन सं0-AR/08/2015**
   पटना नगर निगम।

विषय :- **प्लॉन केस सं0- P- Dhakanpura-PCN-LB+UB+G+7/160/2018 के निबंधित वास्तुविद/ अभियंता के द्वारा अतिरिक्त भू-पट्टी हेतु 119.84 वर्ग मीटर भू-पट्टी छोड़कर स्वीकृत नक्शे के अनुसार निर्माण कराने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषयक के अनुपालन में सूचित करना है कि भू-स्वामी/ भवन निर्माणकर्त्ता के द्वारा Construction के दौरान (सड़क चौड़ीकरण/ अतिरिक्त भू-पट्टी हेतु 119.84 वर्ग मीटर) भू-पट्टी छोड़ कर हीं निर्माण करेंगे एवं इस आशय की लिखित सूचना विभाग को देंगे, साथ हीं कार्य प्रारंभ करने की सूचना भवन उपविधि 2014 के Form-X (Form of Notice for Commencement of Work) BYE LAWS No.- 8 (6) (F), 10 के अनुरूप समर्पित की जाय।

अत: निबंधित वास्तुविद/ अभियंता ये सुनिश्चित करेंगे कि Construction के दौरान अतिरिक्त भू-पट्टी हेतु 119.84 वर्ग मीटर भू-पट्टी छोड़कर हीं निर्माण किया जा रहा है। भवन उपविधि के अनुसार Form-V में दिये गये प्रावधानों को लागू करना सुनिश्चित करेंगे तथा भवन उपविधि-14 एवं महायोजना 2031 के उल्लंघन में आवेदक तथा निबंधित वास्तुविद/अभियंता किसी भी प्रशासनिक कार्रवाई के पात्र होंगे एवं भवन उपविधि 2014 के कंडिका 13(2) के अनुसार आवधिक प्रतिवेदन लिखित तौर पर प्रपत्र-XI में जमा करना संबंधित वास्तुविद/ अभियंता के द्वारा आवश्यक होगा। साथ हीं निर्माण के समय अधोहस्ताक्षरी तथा संबंधित प्रारूपक/ कनीय अभियंता से समय-समय पर समन्वय स्थापित कर स्थल दिखाना आवेदक तथा वास्तुविद/ अभियंता की जिम्मेवारी होगी। किसी भी प्रकार की भवन उपविधि में लापरवाही/ उल्लंघन के लिये आवेदक एवं निबंधित वास्तुविद/ अभियंता जिम्मेवार होंगे और विधि सम्मत प्रशासनिक कार्रवाई के पात्र होंगे।

कृपया इसे अति महत्वपूर्ण समझा जाय।

विश्वासभाजन,

19/07/19

उप निदेशक,
शहरी योजना,
पटना नगर निगम, पटना।

Maurya Lok Complex, Budhha Marg, Patna, Bihar 800001. T +91-612-2223791, F +91-612-2200691, E patnamc-bih@gov.in, W pmc.bihar.gov.in
facebook.com/cityofpatna twitter.com/cityofpatna instagram.com/cityofpatna youtube.com/cityofpatna 947 222 3909